राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन : 0141–2719073 **Email : rajssarte@gmail.com** फैक्स : 0141–5107388

क्रमांक :राप्राशिप / जय / आर.टी.ई. / 2016–17 / 5718 दिनांक : 16.8.17

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा,
जिला..(समस्त जिले)

विषयः– प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर गैर–सरकारी व अन्य विद्यालयों के पंजीयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर राज्य की सीमा में संचालित समस्त विद्यालयों (राज्य के सरकारी विद्यालयों को छोड़कर) यथा स्कूल शिक्षा विभाग के गैर–सरकारी विद्यालय, संस्कृत शिक्षा विभाग के गैर–सरकारी विद्यालय, मदरसा, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एवं एटोमिक एनर्जी सेन्ट्रल स्कूल इत्यादि द्वारा पंजीयन किया जाना आवश्यक है। पंजीयन के बाद इन विद्यालयों द्वारा वेबपोर्टल पर विद्यालय एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित विवरण की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है।

इन विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों द्वारा वेबपोर्टल पर पहले से ही पंजीयन किया हुआ है लेकिन कुछ विद्यालयों द्वारा वेबपोर्टल पर आदिनांक तक पंजीयन नहीं किया गया है। अभी तक अपंजीकृत विद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण हेतु संलग्न प्रारुप (**परिशिष्ट–1**) में समस्त सूचनाऐं भरकर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं सील सहित पत्र आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर के नाम प्रेषित कर दें। पत्र को ई–मेल आईडी rajpsphelp@gmail.com पर भी भेज दें। गैर–सरकारी विद्यालय तथा मदरसों के लिए आवश्यक होगा कि वह पत्र के साथ विद्यालय मान्यता की छाया प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करें। मान्यता प्रति के अभाव में इन विद्यालयों का पंजीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा। पत्र एवं मान्यता प्रति के आधार पर विद्यालय का पंजीयन शिक्षा संकुल स्थित प्राइवेट स्कूल पोर्टल सेन्ट्रल सैल द्वारा किया जायेगा तथा विद्यालय के पंजीकरण के उपरान्त वेबपोर्टल पर लॉगिन हेतु आईडी एवं पासवर्ड संस्था प्रधान के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भिजवा दिये जायेंगे। **प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर पंजीकृत विद्यालय जिनके पास पहले से पी.एस.पी. कोड उपलब्ध है वह विद्यालय नवीन पंजीयन हेतु आवेदन नहीं करें।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1.निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2.निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3.वरिष्ट शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

16/8/17
अतिरिक्त आयुक्त

परिशिष्ट–1

स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर पंजीयन (Registration) हेतु विद्यालय विवरण का प्रारूप

1. विद्यालय से सम्बन्धित विवरण :–	
1.1 विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)	
1.2 विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)	
1.3 विद्यालय का पूरा पता	
1.4 डाइस (DISE) कोड यदि है तो	
1.5 जिला	
1.6 ब्लॉक	
1.7 ग्राम पंचायत / यूएलबी	
1.8 ग्राम / वार्ड	
1.9 विद्यालय का स्थापना वर्ष	
1.10 विद्यालय का फोन नम्बर	
1.11 विद्यालय का ई–मेल आईडी	
1.12 वर्तमान में विद्यालय किस कक्षा तक संचालित है	
1.13 संस्था प्रधान का नाम	
1.14 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर (इस नम्बर पर ही Login ID & Passward SMS द्वारा भेजे जायेंगे)	
2. विद्यालय मान्यता से सम्बन्धित विवरण :–	
2.1 विद्यालय किस विभाग से मान्यता प्राप्त है। (स्कूल शिक्षा विभाग का गैर–सरकारी विद्यालय / संस्कृत शिक्षा विभाग का गैर–सरकारी विद्यालय / मदरसा / केन्द्रीय विद्यालय / जवाहर नवोदय विद्यालय / राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल / सैनिक स्कूल / एटोमिक एनर्जी सेन्ट्रल स्कूल)	
2.2 अंतिम मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी (1–5 / 1–8 / 1–10 / 1–12 / 6–8 / 6–10 / 6–12 / 9–10 / 9–12 / 11–12)	
2.3 विद्यालय को प्राप्त उच्चतम मान्यता का क्रमांक (मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है)	
2.4 विद्यालय को प्राप्त उच्चतम मान्यता का दिनांक	

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
विद्यालय की सील सहित